स्त निगम अपने बढ़ते हुए विस्तार कार्यकलाप के माध्यम से शिक्षित बेकारों को खासतौर से ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में स्वनियोजन की सुविधायें प्रदान करने की एक योजना तैयार कर रहा है। आशा है योजना शीघ्र लागू हो जायेगी।

Attendance Allowance to Disabled Servicemen

5062. SHRI AMAR ROY PRADHAN: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the number of disabled servicemen who have submitted their claims so far during 1977-78 for the constant attendance allowance, State-wise figures;

(b) the amount so far given to them, State-wise figures; and

(c) whether the sanctioned amount for the constant attendance allowance is very meagre considering the present price hike; if so, whether Government would like to enhance it, and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (PROF. SHER SINGH): (a) and (b). Information required is not readily available.

(c) Based on the recommendations of the Third Pay Commisson, the rates of Constant Attendance Allowance for officers and personnel below officer rank were revised from Rs. 45 to Rs. 60 per month and from Rs. 35 to Rs. 45 per month, in March 1976 and December 1978 respectively, with retrospective effect from 1-1-1973 There is no proposal for further revision of these rates.

आपात स्थिति के दौरान गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को दिये गये विशेषाधिकार

5063. श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन व्यक्तियों को आपात स्थिति के दौरान जेल हुई थी ; उन्हें स्वाधीनता सैनानी घोषित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें पेंशन को छोड़कर अन्य वही विशेषाधिकार दिये जायेंगे जो उन स्वाधीनता सेनानियों को दिये जा रहे हैं जिन्होंने 1942 के आन्दोलन में भाग लिया था ; और

(ग) ये विशेषाधिकार अब तक कितने व्यक्तियों को दिये गये हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमान। (ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

जयपुर उद्योग लिमिटेड के सीमेंट कारखाने का सरकार द्वारा नियंत्रण में लिया जाना

5064. श्री मीठा लाल पटेल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाईमाधोपुर (राजस्थान) के सीमेंट कारखाने को अपने नियंत्रण में लेने का अन्तिम निर्णय ले लिया है जिससे उक्त कारखाने को ठीक ढंग से चलाया जा सके और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि वित्तीय संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों द्वारा इसको सहायता दिये जाने के बावजूद यह कारखाना स्वतन्त्र रूप से चलते रहने की स्थिति में नहीं है ;